

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016

जयपुर, दिनांक: 06.06.2016

—: आदेश :—

बजाजनगर अपार्टमेन्ट, गांधीनगर, जयपुर में विभाग के आदेश संख्या प.4(3)साप्र/5/2016 दिनांक 16.03.2016 के क्रम में वरियातानुसार/पात्रतानुसार निम्नांकित अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये राशि रुपये 500/- (अक्षरे पाँच सौ रुपये मात्र) के भुगतान पर एक वर्ष अथवा नियमित आवास आवंटित होने तक, जो भी पहले हो, के लिए एतद्वारा अस्थाई आवंटन किया जाता है:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	भारती चौहान, स.वा.क.अ., वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	4800/-	22	13/2014	31.05.2043	सी-1-31, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	श्रीमती प्रमिला, नर्स श्रेणी द्वितीय जनाना अस्पताल, चौदपोल बाजार, जयपुर	5400/-	28	16/2014	31.07.2026	सी-1-33, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	श्रीमती संदेश गौतम, व्याख्याता, हिन्दी, रा0उ0मा0वि0 सोमेश्वरपुरी, जयपुर	15000/- FIX	30	17/2014	31.08.2036	सी-1-36, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	सुश्री पिकी शर्मा, खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति झोटवाड़ा, जयपुर।	5400/-	35	19/2014	31.12.2042	डी-1-44, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	परवीन कुमारी, वरिष्ठ अध्यापिका, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, आमेर	4200/-	36	20/2014	31.03.2042	एच-1-96, बजाजनगर अपार्टमेन्ट

उक्त आवंटन पर निम्न शर्तें लागू होंगी :-

- आवंटित आवास अस्थाई आवास है। आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में प्राप्त करना होगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
- उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
- जयपुर से बाहर स्थानान्तरण तथा सेवानिवृति हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
- स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा आवंटन होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा, अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
- आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी :-
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्यों के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 - सम्पत्ति विवरण घोषणा-पत्र।
 - गत भुगतान प्रमाण-पत्र, जो आहरण वितरण अधिकारी से प्रमाणित हो।
- उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी लागू होंगी।

राज्यपाल की आज्ञा से

(गौरव बजाड़)
उप शासन सचिव

- P.T.O. -

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग,(विधुत वृत्त) जयपुर।
5. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
6. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, को भेजकर लेख है कि कृपया आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को सुनिश्चित कर कब्जा दें।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी /जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष.....
10. संबंधित अधिकारी /कर्मचारी।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
13. निजी सहायक, उप शासन सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग।
14. सहायक प्रोग्रामर, सा.प्र.वि. कृपया आवंटन पत्र वेबसाइट पर डालें।
15. रक्षित पत्रावली।



उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016


जयपुर, दिनांक: 06.06.2017

—: आदेश :—

इस विभाग के समसंख्यक आदेश क्रमांक: प.4(4)साप्र/5/2016 दिनांक 27.04.2017 द्वारा निम्नांकित आवंटियों को उनकी वरियतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित आवंटित किये गये बजाज नगर अपार्टमेन्ट के अस्थाई आवास का कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन आदेश एतद्वारा निरस्त किये जाते हैं:-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम व पद	ग्रेड-पे	पूर्व वरियता संख्या	नवीन वरियता संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	आवंटित आवास संख्या
1.	डा.अजय यादव, चिकित्सा अधिकारी, एसएमएस होस्पिटल जयपुर	5400/-	75	8/2013	30.12.2040	सी-1-31, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
2.	डा. सुरेश चन्द बैरवा, चिकित्साधिकारी, अधीक्षक जनाना अस्पताल, जयपुर	5400/-	02	1/2014	30.09.2040	सी-1-33, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
3.	श्री दिनेश चन्द मिश्रा, कार्यक्रम अधिकारी (RWDS) निदेशालय, महिला अधिकारिता, जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर	5400/-	08	4/2014	30.06.2039	सी-1-36, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
4.	श्री नेतराम मीना, निरीक्षक (आडिट) सहकारिता	4200/-	18	9/2014	30.11.2028	डी-1-44, बजाजनगर अपार्टमेन्ट
5.	सुश्री अनिता वर्मा, निरीक्षक (आडिट)सहकारिता	4200/-	19	10/2014	31.03.2035	एच-1-96, बजाजनगर अपार्टमेन्ट


राज्यपाल की आज्ञा से


(गौरव बजाड़)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, जयपुर ।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर ।
3. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
4. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0 विभाग, (विधुत वृत) जयपुर ।
5. प्रबन्धक, ट्रांजिट हॉस्टल, गांधीनगर, जयपुर ।
6. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर ।
7. अधिशाषी अभियन्ता, /सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर ।
8. अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी/जयपुर वि0वि0निगम लि. गांधीनगर, जयपुर ।
9. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष जयपुर ।
10. संबंधित अधिकारी ।
11. सहायक शासन सचिव, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग ।
12. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि ।
13. निजी सहायक, शासन उप सचिव (ए) सामान्य प्रशासन विभाग ।
14. सहायक प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन विभाग को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें ।
15. रक्षित पत्रावली ।


उप शासन सचिव